



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 99-2021/Ext.]

चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 23 जून, 2021
(2 आषाढ़, 1943 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं।	
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं।	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान अधिसूचना संख्या का०आ० 33/के०अ० 35/2019/धा० 102/2021, दिनांक 23 जून, 2021.— हरियाणा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के प्रकाशन बारे। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	311—316
भाग IV	शुद्धि—पर्वी, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं।	

भाग-III

हरियाणा सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 जून, 2021

संख्या का०आ० 33/के०अ० 35/2019/धा० 102/2021.— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम 35) की धारा 102 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (ज) तथा (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) ये नियम हरियाणा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2021 कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
(क) 'अधिनियम' से अभिप्राय है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम 35);
(ख) 'सदस्य' से अभिप्राय है, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग, जैसी भी स्थिति हो, का सदस्य;
(ग) 'अध्यक्ष' से अभिप्राय है, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग, जैसी भी स्थिति हो, का अध्यक्ष;
(2) इन नियमों में प्रयुक्त तथा अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें अधिनियम में दिये गये हैं।
3. अध्यक्ष निम्नलिखित प्राप्त करने का हकदार होगा,—
(i) जिला न्यायाधीश को यथा अनुज्ञेय न्यूनतम सैलैक्शन ग्रेड अर्थात्,— 57700—1230—58930—1380—67210—1540—70290/— में वेतन अथवा हरियाणा राज्य द्वारा, समय-समय पर, यथा पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन। यदि अध्यक्ष कोई पेंशन (पेंशन + संराशित पेंशन, यदि कोई हो) प्राप्त कर रहा है, तो उसे उसके वेतन से घटाया जाएगा;
(ii) दो हजार रुपए प्रतिमास की दर पर वाहन भत्ता;
(iii) एक हजार रुपए प्रतिमास की दर पर टेलिफोन/मोबाईल/ब्राडबैंड इत्यादि भत्ता;
(iv) हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को यथा लागू मकान किराया भत्ता अथवा पुनर्नियुक्ति के मामले में, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों के भत्ते), नियम, 2016 के नियम 27 के अनुसार मकान किराया भत्ता;
(v) केवल आधिकारिक दौरे हेतु यात्रा भत्ते अनुदेशों के ग्रेड—II में आने वाले हरियाणा सरकार के ग्रुप-क अधिकारियों को यथा लागू यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (कार्यकाल पूरा होने पर समग्र अनुदान के लिए हकदार नहीं होगा);
(vi) प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में दस दिन का आक्स्मिक अवकाश;
(vii) हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों के लिए भत्ते) नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार चिकित्सा भत्ता।
जिला आयोग के अध्यक्ष को भुगतानयोग्य वेतन तथा भत्ते।
4. सदस्य निम्नलिखित प्राप्त करने के हकदार होंगे,—
(i) प्रतिमास 55,000/— रुपए नियत मानदेय। 3 प्रतिशत (प्रत्येक वर्ष नियत 1650/— रुपए) की दर पर वार्षिक वृद्धि की जायेगी;
(ii) दो हजार रुपए प्रतिमास की दर पर वाहन भत्ता;
(iii) हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को यथा लागू मकान किराया भत्ता;
(iv) केवल आधिकारिक दौरे हेतु यात्रा भत्ते अनुदेशों के ग्रेड—III में आने वाले हरियाणा सरकार के ग्रुप-क अधिकारियों को यथा लागू यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (कार्यकाल पूरा होने पर समग्र अनुदान के लिए हकदार नहीं होगा);
(v) प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में दस दिन का आक्स्मिक अवकाश;
जिला आयोग के सदस्य को भुगतानयोग्य वेतन तथा भत्ते।

- राज्य आयोग के अध्यक्ष को भुगतानयोग्य वेतन तथा भत्ते।
5. (i) राज्य आयोग का अध्यक्ष, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश को यथा लागू वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने का हकदार होगा;
- (ii) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, जो पेंशन (पेंशन + संराशित पेंशन, यदि कोई हो) प्राप्त कर रहा है, तो उसे उसके द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन की सकल राशी को वेतन से घटाया जाएगा।
- राज्य आयोग के सदस्य को भुगतानयोग्य वेतन तथा भत्ते।
6. सदस्य निम्नलिखित प्राप्त करने के हकदार होंगे,—
- (i) प्रतिमास 80,000/— रूपए नियत मानदेय। 3 प्रतिशत (प्रत्येक वर्ष नियत 2400/— रूपए) की दर पर वार्षिक वृद्धि की जायेगी;
- (ii) दो हजार रूपए प्रतिमास की दर पर वाहन भत्ता;
- (iii) एक हजार रूपए प्रतिमास की दर पर चिकित्सा भत्ता, किन्तु किसी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा;
- (iv) एक हजार रूपए प्रतिमास की दर पर टेलिफोन/मोबाईल/ब्राडबैंड इत्यादि भत्ता;
- (v) हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को यथा लागू मकान किराया भत्ता;
- (vi) केवल आधिकारिक दौरे हेतु यात्रा भत्ते अनुदेशों के ग्रेड-।। में आने वाले हरियाणा सरकार के ग्रुप-क अधिकारियों को यथा लागू यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (कार्यकाल पूरा होने पर समग्र अनुदान के लिए हकदार नहीं होगा);
- (vii) प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में दस दिन का आकस्मिक अवकाश।
- आकस्मिक रिक्ति।
7. राज्य आयोग अथवा जिला आयोग, जैसा भी स्थिति हो, में अध्यक्ष के पद की आकस्मिक रिक्ति होने के मामले में, राज्य सरकार को ज्येष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करने की शक्ति होगी।
- वित्तीय तथा अन्य हितों की घोषणा।
8. अध्यक्ष अथवा सदस्य, अपना पद ग्रहण करने से पहले, अपनी आस्तियों, अपने दायित्वों और वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा करेगा।
- सेवा की अन्य शर्तें
9. (i) अध्यक्ष अथवा सदस्य, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग, जैसी भी स्थिति हो, से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् राज्य आयोग अथवा जिला आयोग में वकालत नहीं करेगा;
- (ii) अध्यक्ष अथवा सदस्य, राज्य आयोग अथवा जिला आयोग, जैसी भी स्थिति हो, इन क्षमताओं में कार्य करते हुए किसी प्रकार का मध्यस्थता का कार्य नहीं करेगा।
- (iii) राज्य आयोग अथवा जिला आयोग, जैसी भी स्थिति हो, का अध्यक्ष अथवा सदस्य, उस तिथि, जिसको वे पद पर बने नहीं रहते हैं, से दो वर्ष की अवधि के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति, जो राज्य आयोग अथवा जिला आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही में पक्षकार रहा हो, के प्रबंधन अथवा प्रशासन में, अथवा उससे संबंधित किसी भी रोजगार को स्वीकार नहीं करेगा:
- परंतु इस नियम में दी गई कोई बात, केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी वैधानिक प्राधिकरण अथवा किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन स्थापित किसी निगम अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18), की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित किसी सरकारी कम्पनी के अधीन किसी नियोजन पर लागू नहीं होगी।
- पद और गोपनीयता की शपथ।
10. अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पहले, इन नियमों से संलग्न प्ररूप-। में पद की शपथ तथा प्ररूप-।। में गोपनीयता की शपथ लेगा।
- निधि।
11. वेतन, पारिश्रमिक और अन्य भत्तों का भुगतान राज्य सरकार की संचित निधि में से किया जाएगा।

प्ररूप— I

(देखिए नियम 10)

राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए पद की शपथ का प्ररूप

मैं,, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, हरियाणा/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने पर, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/ईश्वर के नाम से शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी सर्वोत्तम क्षमता, ज्ञान और विवेकबुद्धि से राज्य आयोग/जिला आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा और किसी भय अथवा पक्षपात, राग अथवा द्वेष के बिना निर्णय दूंगा तथा मैं सविधान और देश की विधि की रक्षा करूंगा।

स्थान
दिनांक

अध्यक्ष/सदस्य के हस्ताक्षर

प्ररूप— II

(देखिए नियम 10)

राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूप

मैं,, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, हरियाणा/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने पर, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/ईश्वर के नाम से शपथ लेता हूँ कि मैं, अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मेरे कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए यथा अपेक्षित के सिवाय, मेरे विचारार्थ प्रस्तुत किए गए अथवा राज्य आयोग/जिला आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मुझे ज्ञात हुए, किसी मामलों को किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित अथवा प्रकट नहीं करूंगा।

स्थान
दिनांक

अध्यक्ष/सदस्य के हस्ताक्षर

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलों विभाग।